

प्रेस नोट दिनांक 17.11.2020

1. दिनांक 16.11.20 को वादी श्री विवेक मौर्या पुत्र राम अचल नि० बहारगंज थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राहुल सोनकर पुत्र नागे नि० बछड़ा सुलतानपुर थाना को०नगर अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 764/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 16.11.20 को वादी श्री अभिषेक कुमार सिंह प्रभारी एस०ओ०जी० अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू लाल पुत्र हरि शंकर वर्मा नि० सकोहरी थाना मोरावा जनपद उन्नाव गिर० अभि० द्वारा धोखाधड़ी व जालसाली करके फर्जी तरीके से सेना की वर्दी पहनना, भर्ती कराने के नाम पर रूपये लेना तथा अभि० के कब्जे से सेना की वर्दी, बेल्ट, बैच, स्टार आदि बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 543/20 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 140 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 16.11.20 को वादी उ०नि० श्री राजेन्द्र यादव थाना रा०ज०भू० अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि तुलसीराम पुत्र शिवनाथ लोध नि० जालिम का पुरवा बाबूपुर थाना जामू जनपद अमेठी गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 142/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 16.11.20 को वादी श्री इंद्रजोत वर्मा पुत्र बोधराम वर्मा नि० ताहिरपुर बरौली थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एजेड 6203 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई नवीन कुमार को पीछे से टक्कर मार देना जिससे दौरान इलाज मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 480/20 धारा 279, 337, 338, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 16.11.20 को वादी उ०नि० श्री संजय कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय उर्फ मगधू पुत्र ननकऊ नि० चिरा मोहम्मदपुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरमाद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 536/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 16.11.20 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सज्जन पुत्र अलगू राम नि० कुन्दर्खा खुर्द पूरे गुजाजी थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरमाद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 537/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 16.11.20 को वादी उ०नि० श्री पंकज कुमार सिंह थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील कुमार सोनी पुत्र श्रीराम सोनी नि० गेरौण्डा थाना पटरंगा अयोध्या आदि 03 नफर सभी गिर० अभि०गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्ते के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना, मौके से मालफड व जामा तलाशी के 6430 रू० व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 239/20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 16.11.20 को वादी उ०नि० श्री पंकज कुमार सिंह थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीपाल पुत्र मन बहार नि० पटरंगा गांव थाना पटरंगा अयोध्या आदि 11 नफर सभी गिर० अभि०गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्ते के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना, मौके से मालफड व जामा तलाशी के 7815 रू० व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 240/20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 16.11.20 को वादी श्री मो० समीर पुत्र मो० शकील नि० पुराय थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० शब्बीर उर्फ आयान खान पुत्र इजरार खान नि० पुराय थाना पटरंगा अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा घर में घुसकर गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 241/20 धारा 323, 504, 506, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।